कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 25.09.2021 द्वारा श्रीमती ज्योत्सना शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरनिया (212859) जिला सवाई माधोपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरेड़ी (217857) खण्डार जिला सवाई माधोपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती ज्योत्सना शर्मा द्वारा माननीय अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 5673/2021 दायर की गई ।

अपील संख्या 5673/2021 में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 15.11.2021 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी श्रीमती ज्योत्सना शर्मा नें अपने अभ्यावेदन में विकट पारिवारिक परिस्थितियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपना पदस्थापन राउमावि जाहिरा/राउमावि अतेवा, जिला करौली/राउमावि करौली या डाईट स.माधोपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के भीतर ही किया गया है, किसी अन्य जिले या दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। जिले के भीतर स्थानीय स्थानान्तरण किये जाने के बावजूद भी इच्छित स्थान पर पदस्थापित किये जाने की अपीलार्थी की मांग उचित नहीं है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्रीमती ज्योत्सना शर्मा द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/ज्योत्सना/अपील/5673/21/314 दिनांकः 31.01.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स.माधोपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक स.माधोपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती ज्योत्सना शर्मा, प्रधानाचार्य को सूचनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)